कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर। पत्र संख्या- \$70 /33-1 दिनांक, मीरंजापुर, सितम्बर, 22

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० मीरजापुर।

विषयः जनपद-मीरजापुर में तहसील लालगंज के अन्तर्गत विभिन्न सम्पर्क मार्गो क्रमशः 1-भटवारी से मतवार सम्पर्क मार्ग, 2-मतवरिया से मतवार सम्पर्क मार्ग, 3-वडौही से परसिया वाया औरा सम्पर्क मार्ग, 4-फुलियारी सम्पर्क मार्ग 5-सिलहटा सम्पर्क मार्ग, 6-मेजा बांध (ददरी) से नदना वाया मटिहरा-सगरा मार्ग एवं 7-खरिहट खुर्द से केडवर सम्पर्क मार्ग (कुल लम्बाई 37.79 किमी०) में 156 वृक्षों के पातन सहित निर्माण हेतु कैमूर वन्य जीव विहार के सीमान्तर्गत एवं उसके ईको-सेन्सिटिव जोन में आच्छादित कुल 52.906 हे0 संरक्षित वन मूमि एवं गैर वन मूमि पर वानिकी कार्य के प्रयोगार्थ भारत सरकार, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति से अनुमोदन/वाइल्ड लाइफ क्लीयरेन्स के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी की ओर से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, पी०डब्लू०डी० मीरजापुर, उ०प्र० द्वारा आन लाइन अपलोड किए गए प्रस्ताव संख्या—150065/2021।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत कार्यालय लखनऊ के पत्र 8बी / यू०पी० / 06 / 160 / 2023 / एफ.सी. / 286 दिनांक 7.08.2023

महोदय.

उपरोक्त विषयक आनलाइन प्रस्ताव संख्या 150065/2021 में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत कार्यालय लखनऊ के पत्र8बी/यू०पी०/०६/160/2023/एफ.सी./286 दिनांक 7.08.2023 द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना / जानकारी उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

- 1. As per the GIS DSS demarcation of the area proposed for diversion is undervalued. Some parts of the Reserve Forest area in Badouhi to Parsyia road and Matwaria to Matwar road are demarcated as Non-forest Land. This needs rectification.
- 2. The Net suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 32.31 ha, which is lower than theactual required CA land area.
- 3. As per the GIS DSS some parts of the proposed CA lund of Dadri Gharia (3 patches) and Danti village (18 patches) fall under the Forest area. This needs rectification.
- 4. As per the KML file approx. 0.013246 ha isolated CA land in Bela village has been proposed.
- 5. CA land has been proposed in scattered format. As per FCA rules and guidelines consolidated patches of CA of area not less than 5 ha land adjacent to forest blocks should be proposed for CA. 6. Submitted cadastral map is non Geo-rectified. Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.
- 7. Cost benefit analysis needs to be re-worked upon in view of revised rates of NPV.
- 8. Approval of the Standing Committee of National Board of the Wildlife (NBWL) to the project needs to be submitted.
- 9. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned Divisional Forest Officer (DFO) needs to be submitted.
- 10. Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.

उपरोक्त विन्दुओ पर निराकरण आख्या/अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराने कष्ट करें ताकि इस स्तर से अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

र्मलग्नक- उपरोक्तानुसार।